



Identified by  
Executed/Stamping by  
S. S. UPADHYAY  
ADVOCATE  
KATIMA (U. S. NAGAM)

प्रक्रम २६  
(नियम वाले दोखेदा)  
विधान सभा की ७० विधान सभा रक्षामा नियमन की  
आमिसर की समक्ष उत्तर किया जाते गलत शपथ - प्रति ००।  
७० विधान सभा रक्षामा  
उत्तर किया जाते गलत शपथ - प्रति ००।

14AA 410969

21/10/2021

प्रकाश 26

To विद्यालय सभा रखी भा (नियम 4क देखिए) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन भौति कराया

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

## ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾ

स्टर्टिंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र। (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए

मेरा रामबद्ध

पुत्र / पुत्री / पत्नी

...आय...५०...वर्ष...

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/कक्ष्टी हूँ/ शापथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कक्ष्टी हूँ:-

५१. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किरणी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेनगी):

- ✗(I) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... NIL (लाजू नहीं)

✗(II) पुलिस थाना (थाने)..... NIL (लाजू नहीं) जिला (जिले)..... NIL (लाजू नहीं) राज्य..... NIL (लाजू नहीं)

✗(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... NIL (लाजू नहीं)

✗(IV) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की कई..... NIL (लाजू नहीं)

✗(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे..... NIL (लाजू नहीं)

✗(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं / हैं.....  
NIL (लाजू नहीं)

किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) सा उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिवू दीमुख ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया C.भिन्न है/ नहीं किया गया है।  
Khatima 11 S

यद्यपि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

32(1) ) १० जागला अधिम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं ८८ (लोअर वटी) )

(II) न्यायिक विधि जिसने दंडित किया है। ८८ (लोअर वटी)

(प्रभु) सुनिश्च थाना (थाने) NIC (लोकरक्षा) जिला (जिले) NIC (लोकरक्षा) राज्य NLL (लोकरक्षा)

**(iv) संबन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) के लिए अवृत्ति कभी आयोजित किया गया है।**

(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सनाया गया था / सनाए गए थे।

(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ह्वारा रोका गया है / रोके गए हैं ॥८ (लाइन ७)

स्थानः—रवीमा

तारीखः— 12-01-2012

अगिसाक्षी के हस्ताक्षर  
२१ अक्टूबर

संख्या ४८

ैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग गिर्धा नहीं है और कोई तात्परिक बात छिपाई नहीं गई है।  
**८७५२३८।** स्थान पर आज तारीख **12-०१-२०१२** को सत्यापित किया।